### लाडली योजना के अंतर्गत पंजीकरण हेतु जन्म एवं स्कूल संबंधित फार्म

फ़ार्म जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी / विभागीय वेबसाइट / एस॰बी॰आई॰ बेंक / स्कूल से नि:शुल्क प्राप्त करें। BIRTH CASE/SCHOOL CASE OF GOVT. RECOGNISED SCHOOLS BY DELHI GOVT.

पहचान संख्या /आई.डी.नम्बर	1:25		
(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)	300	197136	

# महिला एवं बाल विकास विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार 1-A, पं० रवि शंकर शुक्ला लेन, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001

जिस परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय एक लाख से कम है केवल वो ही बालिका लाडली योजना के लिए आवेदन करें। क्या इस बालिका का पंजीकरण लाडली योजना में किया जा चुका है यदि हां तो एस बी आई एल. के पत्र की कॉपी संलग्न करें एवं संबंधित स्कल को अवश्य सूचित करें। नवीनीकरण के लिए इस फ़ार्म के पीछे दिए गए दिशा-निर्देश देखें।

1.	. (i) बालिका का नाम (हिन्दी में)	माता पिता
	(ii) बालिका का नाम (अंग्रेजी में)	व बालिका
	(नाम एवं उपनाम के बीच एक डिब्बा खाली रखें)	का संयुक्त फोटो
	कृपया नाम आधार कार्ड / जन्म प्रमाण पत्र के अनुरूप लि	<b>खें</b> ।
	(iii)जन्म तिथि	
2.	. जन्म का स्थान	
	(अस्पताल/ नर्सिंग होम/ घर)	
3.	. दिल्ली में जन्म के प्रमाण पत्र की पंजीकरण संख्या जारी होने की तिथि	जारीकर्ता एजेन्सी
	(रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करे)	
4.	बालिका की माता का नाम बालिका के पिता का नाम	
5.	. श्रेणी :- SC ST OBC GEN (यदि लागू हो, जाति	। प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6.	• वर्तमान पता (दिल्ली में रहने का तीन साल का प्रमाण संलग्न करे)	
		)
	(दूरभाष न0 या मो0 नं0 देना अनिवार्य है) विधान स	भा क्षेत्र संख्या
7.	र. पारिवारिक वार्षिक आय (अंको में)(शब्दों में) (आय प्रमाण पत्र संलग्न करें)।	
8.	3. प्रार्थी की पुत्रियों की संख्या इस पुत्री के अलावा कितनी पुत्रियों के लिए लाडली योजना में	पंजीकरण करवा चके हैं
0.	यदि हां तो ग्रुप मेम्बर आई.डी. लिखें (यह सहायता दो पुत्रि	<u> </u>
9.	े आधार कार्ड संख्या (माता / पिता के आधार कार्ड की छाया प्रा	
	0. क्या किसी अन्य राज्य की इस प्रकार की योजना से लाभ ले रहे हैं?	
2	यदि हॉ तो योजना का नाम पंजीकरण संख्या राज्य	
		(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)
pr	OURTH CASE/(CHOOL CASE OF COVE RECOGNISED SCHOOLS BY DELIH COVE	
	BIRTH CASE/SCHOOL CASE OF. GOVT. RECOGNISED SCHOOLS BY DELHI GOVT.	TO SEE BEING THE SEE
	बालिका का नाम हस्ताक्षर प्राप्तिक	र्जा
	जन्म ।ताथ	
	ब्रालिका की माता का नाम नाम एवं पद ब्रालिका के पिता का नाम	
	प्रतिमान पता जिले का नाम ए	वं पता

2. वर्तमान पते का प्रमाण -पत्र

3. आय प्रमाण-पत्र

कृपया इस रसीद को संभाल कर रखें। कृपया पीछे दिये गये दिशा निर्देश पढें।

#### स्कूल द्वारा भरा जाए

अगर बालिका स्कूल में पढ़ती है तो नीचे दिए गए रिक्त स्थान अवश्य भरें।

बालिका की फोटो	कक्षा	सेक्शन	विद्यालय का नाम एवं पता	सरकारी / प्राइवेट	विद्यालय कोड आई डी	विद्यार्थी कोड ' संख्या	आधार नं0 बालिका का	कक्षा अध्यापिका के हस्ताक्षर

प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर एवं मोहर

#### घोषणा पत्र

					V		
<u>ት</u>		पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री			घोषणा करता / व	करती हूँ कि मेरे द्वा	रा
		ाया सही है। यदि इस					
किया जा सकता है एव	त्रं लाभ की राशि ब्य	ाज समेत वापस ली ज	ा सकती है।				
	······						
बालिका के पित	ा के हस्ताक्षर / बायें अं	गूठे का निशान		बालिका के मात	n के हस्ताक्षर/बायें अंग्	रूठे का निशान	
		<u></u>		a topic by the			
जांचकर्ता के	लिए .	(कायाल	ाय प्रयोग के लि	ाए ) स्वीकृति	त करने वाले अधिक	ारी के लिए	
नाम	पदनाम	हस्ताक्षर		नाम	पदनाम	हस्ताक्षर	
				<u> </u>		-	

#### आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की फोटो कॉपी संलग्न करें :-

- 1. आवेदन से पूर्व दिल्ली में रहने का तीन वर्ष का प्रमाण राशन कार्ड / वोटर पहचान पत्र / बिजली / पानी / टेलिफोन का बिल।
- 2. बालिका का दिल्ली का जन्म प्रमाण पत्र (रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी)।
- 3. प्रार्थना-पत्र पर माता-पिता व बालिका का संयुक्त फोटो ।
- 4. माता-पिता का आय प्रमाण पत्र / स्वंय द्वारा सत्यापित आय घोषणा पत्र (मूल प्रति) ।
- 5. माता-पिता व बालिका के आधार कार्ड एवं उसके आवेदन की छाया प्रति संलग्न करें।

## आवेदक के लिए दिशा निर्देश

- 1. प्रार्थना पत्र बालिका की जन्म तिथि से एक वर्ष के अंदर अपने जिला कार्यालय में जमा कराएं।
- 2. प्रार्थना पत्र विद्यालय में दाखिला लेनें के बाद उसी वर्ष 31 अक्टूबर तक जमा करना होगा अन्यथा उस पर विचार नहीं होगा।
- 3. नवीनीकरण (Renewal) जिस जिला कार्यालय में बालिका का लाडली योजना में पंजीकरण हुआ था, नवीनीकरण भी उसी जिला कार्यालय में होगा। बालिका के कक्षा 1, 6, 9, 11 व 12 में दाखिला लेने पर होगा अत: माता-पिता इन कक्षाओं में बालिका का प्रवेश होते ही अप्रैल से सितम्बर माह में आवश्यक दस्तावेज विद्यालय में जमा करायें व नवीनीकरण करायें।
- 4. स्कूल के माध्यम से आने वाले <u>पंजीकरण / नवीनीकरण</u> उसी जिला कार्यालय में जमा होंगे जिस जिले के अंतर्गत स्कूल आता है।
- 5. डाक द्वारा भेजे गए प्रार्थना पत्र किसी भी अवस्था में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 6. परिपक्कता राशि (Maturity Claim) तभी प्राप्त होगी जब बालिका 18 वर्ष की होने पर ही कम से कम 10वीं कक्षा नियमित विद्यार्थी के रूप में पास करेगी। अथवा राशि 12वीं कक्षा पास करने के बाद ही प्राप्त की जा सकेगी।